न्यायालय : प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, वारासिवनी
जिला बालाघाट (म.प्र.)
(समक्षः सुश्री नेहा बाथरी)

Registration N0- RCS-A/56/2024
Filng No-RCS-A/181/2024
CNR No. MP50060006182024
Filing date 07/03/2024

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड वारासिवनी,जि.बालाघाट(म.प्र.) सत्यमेव जयते

1. महेन्द्र आयु 35 वर्ष पिता दिलीप चंद्रवार
जाति कलार, निवासी ग्राम मिरेगांव, वार्ड नं06
तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट म0प्र0

.... आवेदक

:: वि रू द्ध ::

1. द्वारका प्रसाद आयु 69 वर्ष पिता शोभाराम चंद्रवार
निवासी—ग्राम मिरेगांव वार्ड नं.03 तहसील लालबर्रा
जिला बालाघाट म0प्र0 .... अनावेदक

::: आदेश :::
{आज दिनांक 31 जुलाई, 2024 को पारित}

1. इस आदेश के द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए.नं. 02 का निराकरण किया जा रहा है।

2. आवेदक का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ग्राम मीरेगांव तहसील लालबर्रा का निवासी है। वह प्राईवेट स्कूल मे शिक्षक है उसके पिता दिलीप चंद्रवार को ग्राम पंचायत मीरेगांव द्वारा रा.नि.म. खमरिया तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट मे स्थित भूमि शासकीय खसरा नंबर 251 रकबा 0.069 हे. में से 10 गुणा 10 कुल 100 वर्ग फिट **(जिसे सुविधा की दृष्टि से आगे वादग्रस्त संपत्ति को संबोधित किया जायेगा)** से प्राप्त हुई थी। उसके

Nehabathri 31/07/24
(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड वारासिवनी

(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
वारासिवनी,जिला—बालाघाट (म.प्र.)

पिता द्वारा उक्त दुकान में चाय, पान की दुकान चलाने का व्यवसाय किया जा रहा है तथा इसी के साथ खाली समय मे कृषि मजदूरी करते है। उसके पिता को ग्राम पंचायत मीरेगांव द्वारा वर्ष 2000–2001 मे शांपिंग काम्पलेक्स निमार्ण करने हेतु लगभग 10 गुणा 10 लंबाई, चौडाई का दिया था, जिस पर आवेदक के पिता के द्वारा चाय, पान की दुकान खोलकर अपना व्यवसाय चालू किया गया था, जो कि वर्तमान में भी है। आवेदक के वर्ष 2000–2001 से व्यवसाय काम्पलेक्स मे अपनी चाय की दुकान चला रहें हैं, जिस पर अनावेदक के पिता का स्वत्व हो गया है। अनावेदक द्वारा आवेदक के पिता द्वारा चला रहें दुकान को तोड दिया गया जिसकी शिकायत पुलिस थाना लालबर्रा व तहसील लालबर्रा मे विचाराधीन है अनावेदक द्वारा दिनांक 21.02.2023 को जे0सी0बी0 कं0एमपी0डीए–0510 के द्वारा व्यवसायी कमरा तोड़ कर उसका कब्जा लिया गया। आवेदक ने कोई अवैध कब्जा नही किया है ना ही वह अनावेदक को किसी प्रकार से परेशान कर रहा है।

3. अनावेदक द्वारा जवाब संक्षेम मे इस प्रकार है आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र शासकीय भूमि खसरा नंबर 251 रकबा 0.069 हे. भूमि के संबंध मे प्रस्तुत किया है जो कि शासकीय भूमि होकर घास मद मे दर्ज है इस प्रकर शासकीय भूमि होकर आवेदक को ना तो दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है ना ही आवेदन प्रस्तुत करने का इसी तरह आवेदक का मूल प्रतिदावा ही प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक द्वारा वाद में मध्य प्रदेश शासन को पक्षकार नही बनाया है ना ही उसके पिता को पक्षकार बनाया है, जबकि कोई शासकीय भूमि के संबंध में दावा प्रस्तुत करने मे मध्य प्रदेश शासन को आवश्यक पक्षकार के रूप मे जोडा जाता है जिनके विरूद्ध दावा प्रस्तुति के पूर्व धारा 80 व्यप्रस. के तहत नोटिस प्रेषित् करने के उपरांत ही दावा प्रस्तुत करना होता है। इसी प्रकार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा पोषनीय नही होने से निरस्त किये जाने योग्य

Nehabathri
31/07/24

(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड वारासिवनी

(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
वारासिवनी,जिला–बालाघाट (म.प्र.)

है। आवेदक शासकीय भूमि के संबंध में किसी भी तरह की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नही है। अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4. **आवेदन पत्र के न्यायपूर्ण निराकरण हेतु निम्न बिन्दु विचारणीय है :–**

(1) **क्या प्रथम दृष्ट्या मामला आवेदक के पक्ष में है ?**

(2) **क्या अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त आवेदक के पक्ष में है ?**

(3) **क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है ?**

।। निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार।।

प्रथम दृष्टया वाद

5. सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथम दृष्टया वाद, आवेदकगण के पक्ष में है अथवा आवेदकगण द्वारा सद्भावना रूप से विधि एवं तथ्य का ऐसा प्रश्न उठाया गया है, जिसका गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जाना आवश्यक है। आवेदक द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसके पिता को वर्ष 2000–01 में शापिंग काम्प्लेक्स निर्माण कर एक कमरा 10 गुणा 10 का दिया गया था, जिस पर उसके पिता द्वारा चाय का व्यवसाय किये जाने लगा। अनावेदक द्वारा उक्त कमरे को जेसीबी के माध्यम से तोड़ दिया गया एवं उस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। अनावेदक द्वारा अवैध रूप से व्यवसाय काम्प्लेक्स के 9 कमरों में से अवैध रूप से 3–4 कमरों को तोड़ दिया गया है और उसमें अतिक्रमण किया जा रहा है।

6. आवेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में ग्राम पंचायत मिरेगांव द्वारा कमरा प्रदान कराये जाने के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक कमरा दिये जाने का प्रमाण पत्र वादग्रस्त सम्पत्ति के छायाचित्र अनावेदक के विरूद्ध एन.सी.आर., नजरी नक्शा और खसरा नं. 251 वर्ष 2023–24 जिसमें भूमि स्वामी के नाम के आगे शासकीय अंकित है, प्रस्तुत की है।

7. अनावेदक द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदक का आवेदन प्रथम दृष्टया

Nehabathri 31/07/24
(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड वारासिवनी

(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
वारासिवनी,जिला–बालाघाट (म.प्र.)

निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर 251 रकबा 0.069 हे. भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया है जो कि शासकीय भूमि में दर्ज है। शासकीय भूमि के संबंध में आवेदक न तो दावा प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है और न ही आवेदन। आवेदक द्वारा शासन को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है, न ही उसके पिता को वाद में जोड़ा गया है। जबकि शासकीय भूमि के संबंध में दावा प्रस्तुत करने के पूर्व धारा 80 व्यव.प्र.सं. का नोटिस जारी करना होता है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में खसरा नं. 251 वर्ष 2023–24 प्रस्तुत किया है, जिसमें भूमि स्वामी के नाम के आगे शासकीय अंकित है, उसके द्वारा नक्शा खसरा नं. वर्ष 2023–24 खसरा नं. 252 के आगे भूमि स्वामी के नाम के आगे द्वारका प्रसाद पिता– शोभाराम अंकित है, उसके द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत आवेदन एवं वादग्रस्त संपत्ति की छायाचित्र प्रस्तुत किया है।

४. उपरोक्त अभिवचनों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदक द्वारा यह अभिवचन किये गये कि उन्हें ग्राम पंचायत मिरेगांव द्वारा शॉपिंग काम्प्लेक्स निर्माण कर आवेदक के पिता को एक कमरा दिया गया था, जिसमें उसके पिता द्वारा चाय का व्यवसाय किये जाने लगा, वहीं उसके द्वारा आगे व्यक्त किया गया है कि अनावेदक द्वारा जेसीबी के माध्यम से उसके दुकान को तोड दिया गया एवं वह उक्त जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए प्रयासरत है। उसके द्वारा अपने पक्ष समर्थन में ग्राम पंचायत मिरेगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र खसरा वर्ष 2023–24 में क्र. 251, वहीं अनावेदक द्वारा यह अभिवचन किये गये कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें म.प्र. शासन को न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही उन्हें धारा 80 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत सूचना दी गई है। प्रकरण में म.प्र. शासन आवश्यक पक्षकार है, जिन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है और धारा 80 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत नोटिस दिये बिना उक्त वादग्रस्त संपत्ति के

Nehabathri
31/07/24
(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड वारासिवनी
(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
वारासिवनी, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं होता है। **परिणामतः विचारणीय प्रश्न कमांक 01 अप्रमाणित पाया जाता है।**

विचारणीय प्रश्न कमांक 02

9. सुविधा के संतुलन के संबंध में यह नियम है कि निषेधाज्ञा जारी किये जाने से विपक्ष को होने वाली असुविधा निषेधाज्ञा जारी न किये जाने पर प्रथम पक्ष को होने वाली असुविधा की तुलना में अधिक नहीं होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा यह अभिवचन किये गये हैं, उक्त वादग्रस्त संपत्ति में आवेदक को ग्राम पंचायत मिरेगांव द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक कमरा दिया गया था, जिसे आवेदक द्वारा जेसीबी के माध्यम से तोड़ा जा रहा है जो कि शासकीय भूमि है। प्रस्तुत प्रकरण में वाद की प्रचलनशीलता पर प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि शासकीय भूमि के संबंध में शासन को पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में शासकीय भूमि में बिना शासन को पक्षकार बनाये उनकी संपत्ति के संबंध में कोई अस्थाई जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो निषेधाज्ञा किये जाने से अनावेदक को होने वाली असुविधा जारी नहीं किये जाने से आवेदक को होने वाली असुविधा से अधिक होगी। सुविधा का संतुलन भी आवेदका के पक्ष में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। **अतः विचारणीय प्रश्न (2) भी प्रमाणित नहीं होता है।**

विचारणीय प्रश्न कमांक 03

10. प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नहीं है। यदि उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उन्हें अपूर्णीय क्षति कारित होगी। इस संबंध में न्याय दृष्टांत ***Dalpat Kumar vs. Prahlad Singh, (1992) 1 SCC 719*** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि Cardinal principle for temporary injunction was considered where the court observed that the party seeking injunction will incur "irreparable injury" to the party seeking relief as a result of non-interference of court and that there is no other remedy except the injunction and the same is needed by the party to protect themselves from the

Nehabathri
31/07/24
(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड वारासिवनी

(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
वारासिवनी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

apprehended injury or dispossession. Irreparable injury means the one that cannot be compensated by the way of compensation. The Court must exercise sound judicial discretion while granting or refusing the temporary injunction. अतः उक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में यह प्रतिपादित किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते समय न्यायालय को न्यायिक विवेकाधिकार का उपयोग अस्थाई निषेधाज्ञा जारी या निरस्त करते समय उपयोग करना चाहिए ताकि किसी भी पक्षकार को अपूर्णीय क्षति कारित न हो सके। वर्तमान प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 प्रमाणित नहीं पाया जाता है। परिणामतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत **आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. आई.ए.नं. 1 निरस्त** किया जाता है।

11. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के गुण–दोषों पर नहीं पड़ेगा।

12. उभयपक्ष अपना–अपना आवेदन व्यय वहन करेगें।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व किया हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

Nehabathri
31/07/24
(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
वारासिवनी जिला बालाघाट, म.प्र.

(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
वारासिवनी,जिला–बालाघाट (म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

Nehabathri
31/07/24
(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
वारासिवनी जिला बालाघाट

(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
वारासिवनी,जिला–बालाघाट (म.प्र.)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड वारासिवनी, जि.बालाघाट (म.प्र.)
सत्यमेव जयते

(सुश्री नेहा बाथरी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड वारासिवनी